न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल प्रार्थना–पत्र सं0 –02/19

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्यासीराम पुत्र तोताराम कौम राजपूत निवासी दिघी तहसील राजाखेडा

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए 1955

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकारः– तहसीलदार राजाखेडा

निर्णय

मूल प्रार्थना–पत्र सं. 02/19 दिनांक :– 8.2.2023

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा ने पेशकर कथन किया कि तहसील राजाखेडा के राजस्व ग्राम जरिहा नं. 02 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3651, 3652 रकबा 2–10 किस्म बारानी गोरवा श्री ग्यासीराम पुत्र तोताराम की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 तक की नकल व खसरा गिरदावरी संलग्न है। उक्त आराजी खातेदारान के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर खातेदार संपरिवर्तन कराये बिना कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन/प्रयोग में नहीं ले सकता, इसके बावजूद उक्त खातेदारान द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से ईंट भट्टा निर्माण कर लिया है तथा कृषि से अन्य व्यवसायिक प्रयोजन के प्रयोग में आराजी को काम में ले रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की उल्लघन किया है जिसके कारण उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने की हैसियत से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी खसरा नम्बर 3651, 3652 किता 2 रकबा 2–10 रकबा को सिवायचक(सरकारी) भूमि दर्ज रिकॉर्ड करने की आज्ञा फरमावें। प्रार्थना–पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थीगण को न्यायालय से नोटिस जारी किया जा चुका है। तामील उसके पुत्र पर हो चुकी है। बावजूद तामील अप्रार्थी हाजिर नहीं। अतः विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पैरोकार सरकार की तरफ से पीडब्ल्यू 1 रश्मि पटवारी प0म0 दिघी के बयान करवाये, अपने बयानों में कथन किया कि आराजी ख.नं. 3651,3652 स्थित ग्राम दिघी में वर्तमान में ईंट भट्टा संचालित है। भूमि संपरिवर्तित नहीं है। व्यावसायिक उपयोग में ले रखा है। जो आरटीए 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। दिनांक 26.03.2019 को मुताबिक आदेश श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय राजाखेडा के पत्र कमांक/परिवाद/19/27 दिनांक 14.03.2019 एवं श्रीमान तहसीलदार राजाखेडा के आदेश कमांक/एलआर/19/641 दिनांक 26.03.2019 की पालना में ख.नं. 3651 व 3652 तात्कालीन पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा बनाया। मौके पर ईंट भट्टा संचालित है। जो कि भूमि रूपान्तरण नहीं हुआ है। उक्त ख.नं. पर रैहनावाली, कैलादेवी, ब्रिक्स फील्ड के नाम से ईंट भट्टा चल रहा है तथा आर.एस. मार्का नाम से ईंट थपाई हो रही है तथा जिसको ग्यासीराम पुत्र तोताराम निवासी दिघी व बादाम सिंह पुत्र ग्यासीराम जाति राजपूत निवासी दिघी मिलकर चला रहे हैं। आज भी वर्तमान में ईंट भट्टा संचालित है। पीडब्ल्यू 2 रविन्द्र सिंह आईएलआर राजाखेडा नं. 02 के बयान करवाये, अपने बयान में कथन किया कि आराजी ख.नं. 3651, 3652 स्थित ग्राम दिघी में जमीन में ईंट भट्टा संचालित है। भूमि संपरिवर्तित नहीं है। व्यावसायिक उपयोग में ले रहे हैं। जो आरटीए 1955 की धारा 177 की उल्लंघन है। दिनांक 26.03.2019 को मुताबिक आदेश श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय राजाखेडा कमांक/परिवाद/19/27 दिनांक 14.03.2019 एवं श्रीमान तहसीलदार राजाखेडा के आदेश कमांक/एलआर/19/641 दिनांक 26.03.2019 की पालना में ख.नं. 3651 व 3652 तत्कालीन आईएलआर हमराह पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा बनाया। मौके पर ईंट भट्टा संचालित

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

उक्त ख.नं. की भूमि का रूपांतरण नहीं हुआ है। उक्त ख.नं. पर रहना वाली, कैलादेवी ब्रिक्स फील्ड के नाम से ईंट भट्टा चल रहा है तथा आर.एस. मार्का नाम से ईंट थपाई हो रही है तथा जिसको ग्यासीराम पुत्र तोताराम निवासी दिघी व बादाम सिंह पुत्र ग्यासीराम जाति राजपूत साकिन दिघी चला रहे हैं। आज भी वर्तमान में ईंट भट्टा संचालित है।

पैरोकार सरकार के द्वारा पत्रावली में दिनांक 01.02.2023 को प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस में आरटीए 1955 की धारा 177 के तहत उक्त खातेदार को शर्त उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए उसके खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान करते हुए उक्त भूमि पुर्नग्रहित की जाकर सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा के प्रार्थना–पत्र पीडब्ल्यू 1 रश्मि पटवारी प.म. दिघी, पीडब्ल्यू 2 रविन्द्र सिंह आईएलआर राजाखेडा नं. 02 के बयान दिनांक 26.03.2019 की पटवारी व आईएलआर की मौका जांच रिपोर्ट सम्बत् 2070–2073 की जमाबन्दी ग्राम जरिहा न. 02 ख.नं. 3652 व जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 जरिहा नं. 02 ख.नं. 3651 की जमाबन्दी, ख.नं. 3651 व ख.नं. 3652 के नक्शा अक्श, सम्वत् 2070–2073 की ख.नं. 3651 व 3652 की चतुर्वर्षीय गिरदावरी का अवलोकन, मनन व अध्ययन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का प्रावधान करती है। अभिधारी भूमिधारी के आवेदन पत्र पर निम्नांकित आधारों पर भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।

(क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की भूल के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिए हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो जिसके लिए उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया गया हो या

(ख) इस आधार पर कि उससे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है, जिसके भंग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखली किया जा सके, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नहीं है।

इस अध्याय के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन पत्र में अभिधारी के मार्फत स्वत्व का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहां वाद का मूल कारण पूर्णतः या अंशतः अभिधारी के अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य या भूल या शर्त भंग पर आधारित हो, वहां उक्त अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी एक पक्षकार के रूप में भामिल किया जायेगा।

इस धारा के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिये जाने पर न्यायालय प्रतिपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा। जिससे उसे ऐसी अवधि, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, के भीतर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाये, कारण बताने का आदेश होगा। यदि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का प्रतिवाद करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय शुल्क भुगतान किये जाने पर उस आवेदन पत्र को वादपत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा। जिस प्रकार कि एक वाद में परन्तु सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में, तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा। यदि वह इस प्रकार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है। लेकिन बेदखल किय जाने के दायित्व का प्रतिवाद नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन पत्र पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

शर्त भंग करने वाले व्यक्ति की स्थिति अतिकमी की सी होती है। कजा बनाम स्टेट, 1973 आर.आर.डी पेज 476 व्यक्तिशः काश्त करने की शर्त पर पट्टे पर दी गई भूमि में स्वयं द्वारा काश्त नहीं करना शर्त भंग करना है। जैसाराम बनाम प्रेमाराम 1958 आर.आर.डी पेज 171 नजीरे प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होती है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में अप्रार्थी ग्यासीराम पुत्र तोताराम कौम राजपूत निवासी दिघी तह0 राजाखेडा ख.नं. 3651 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा(0.3161 है0) सम्पूर्ण हिस्सा, ख.नं. 3652 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा(0.3161 है0) में 26/27 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्बत् 2070–2073 में सम्वत् 2072 में अप्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का बिना भू–रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा स्थापित कर अकृषिप्रयोजन कर लिया। अप्रार्थी को इस न्यायालय के धारा 177 आरटीए एक्ट के नोटिस की विधिवत तामील हुई। अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। एक्स पार्टी की गई। पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2 ने अप्रार्थी के वादग्रस्त ख.नं. की कृषि भूमि का ईट भट्टा स्थापित कर अकृषि प्रयोजन कर लिए जाने का कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी खातेदार ने कृषि भूमि का बिना भू-संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजन कर शर्त भंग कर अतिक्रमण किया है। अपनी खातेदारी भूमि के अधिकारों का पर्यवसान कर दिया है। वादग्रस्त भूमि ख.नं. 3651 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा(0.3161 है0) सम्पूर्ण हिस्सा ख.नं. 3652 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.3161 है0) में 26/27 हिस्से को पुनग्रहित किया जाकर अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिए जाते है। तथा वादग्रस्त भूमि ख.नं. 3651 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा(0.3161 है0) सम्पूर्ण हिस्सा एवं ख.नं. 3652 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.3161 है0) में 26/27 हिस्से को सिवायचक घोषित किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.02.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल भुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • राजाखेड़ा (धौलपुर)